

गादेश की कम  
सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई<sup>४</sup>  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख  
सहित

11.10.19

## न्यायालय, अपर समाहर्ता—सह— आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेशन केश नं०—४१ / २०१९

सुल्ताना खातुन

—बनाम—

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ  
प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचांची अंचल अन्तर्गत मौजा—तोपचांची, थाना नं०—४९, खाता नं०—३५७ प्लॉट नं०—८११/४, रकवा—०.०२३३ एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीयउच्च पथ—०२ के ६ लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू—अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं आवेदक स्वंय अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि का बाजार दर पर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है, अधिग्रहित भूमि व्यवसायिक भूमि है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची, राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम १९५६, भू—अर्जन अधिनियम १८९४ एवं १९८४ तथा भू—अर्जन पुनर्वास तथा पुनररथापन अधिनियम २०१३ एवं अर्बिट्रेशन तथा कॉन्सीलेशन अधिनियम १९५६ के आलोक में अनुपालन हेतु अनुरोध किया गया है, साथ ही आवेदक द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि एवं अवस्थित संरचना का २०,२३,५६५.७३ रु० का भुगतान किया गया है, जबकि मुआवजा राशि का भुगतान ९२,७३,७४६.०० रु० किया जाना चाहिए।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आर्ज० को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि एवं अवस्थित संरचनाओं का निर्धारित दर पर पुनर्मूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

11.10.19

अपर समाहर्ता

—सह—

आर्बिट्रेटर धनबाद।

अपर समाहर्ता

—सह—

आर्बिट्रेटर धनबाद।